

# भाण्डागारण निगम (अनुपूरक) अधिनियम, 1965

(1965 का अधिनियम संख्यांक 20)

[22 सितम्बर, 1965]

## भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों को अनुपूरित करने के लिए अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कतिपय राज्यों के विधान-मंडलों ने इस आशय के संकल्प पारित किए हैं कि उन राज्यों में, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित निगमों द्वारा चलाए जा रहे भाण्डागारणों में भण्डारकरण संसद् द्वारा विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा :

और उसके परिणामस्वरूप इसमें इसके पश्चात् जाने वाले प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि उक्त भाण्डागारण निगम अधिनियम के उपबन्ध अनुपूरित किए जाएं;

अतः भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

**1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण निगम (अनुपूरक) अधिनियम, 1965 है।

(2) यह अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यों को लागू होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में ऐसे अन्य राज्यों के नाम जोड़ सकेगी जिनके बारे में उन राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के भण्डारकरण के बारे में इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन अंगीकृत करने वाले संकल्प पारित किए गए हैं और ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर इस प्रकार जोड़े गए राज्यों को इस उपधारा के अर्थ में अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य समझा जाएगा।

(3) यह ऐसी तारीख<sup>1</sup> को, जैसी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, प्रवृत्त होगा।

**2. अधिसूचित वस्तुओं के बारे में अधिनियम का लागू होना—**अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों को लागू होने में भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) इस प्रकार प्रभावी होगा मानो उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में “ऐसी वस्तु के नाते जिसके बारे में संसद् को संविधान की सप्तम अनुसूची की तीसरी सूची की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि निर्मित करने की यह शक्ति प्राप्त है” शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया हो।

## अनुसूची

[धारा 1(2) देखिए]

1. आंध्र प्रदेश।

<sup>2</sup>[2. <sup>3</sup>[आसाम, जैसा कि यह 21 जनवरी, 1972 के ठीक पूर्व विद्यमान था।]]

<sup>4</sup>[3.] गुजरात।

<sup>5</sup>[3क. हरियाणा।]

<sup>4</sup>[4.] केरल।

<sup>4</sup>[5.] <sup>6</sup>[तमिलनाडु।]

<sup>1</sup> 27 नवंबर, 1965, देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1713, तारीख 17-11-1965, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) पृ० 1876।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1283, तारीख 17-8-1968, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1394 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ के विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 [सा०का०नि० 7(अ), तारीख 2-1-1974, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3 (i), पृ० 29] द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> “2” से “5” तक की प्रविष्टियों को “3” से “6” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया [अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1283, तारीख 17-8-1967, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1394]।

<sup>5</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1003, तारीख 31-7-1978, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1787 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ के विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 [अधिसूचना सं० 112, तारीख 31-1-1970, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 19] द्वारा (14-1-1969 से) प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[5क. महाराष्ट्र ।]

<sup>2</sup>[5ख.मेघालय ।]

<sup>3</sup>[6.] <sup>4</sup>[कर्नाटक ।]

<sup>5</sup>[7. उड़ीसा ।]

<sup>6</sup>[8.] <sup>7</sup>[पंजाब, जैसा कि वह 1 नवंबर, 1966 के ठीक पूर्व विद्यमान था ।]

<sup>6</sup>[9.] राजस्थान ।

<sup>6</sup>[10.] उत्तर प्रदेश

<sup>8</sup>[<sup>6</sup>[11.] पश्चिमी बंगाल ।]

---

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि०1019, तारीख 31-5-1971, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ०2749 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि०1200, तारीख 20-9-1978, भारत का राजपत्र, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1787 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> “2” से “5” तक की प्रविष्टियों को “3” से “6” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया [अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1283, तारीख 17-8-1967, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1394] ।

<sup>4</sup> मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ के विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 [अधिसूचना सं० सा०का०नि० 431(अ), तारीख 20-10-1974, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 1981] द्वारा (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि०1008, तारीख 21-5-1968, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1178 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि०1008, तारीख 21-5-1968, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1178 द्वारा “6” से “9” तक की प्रविष्टियों को “8” से “11” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<sup>7</sup> पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ के विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 [अधिसूचना सं० सा०का०नि०1944, तारीख 30-10-1968, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 577] द्वारा (1-11-1966 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> अधिसूचना सं० सा०का०नि०989, तारीख 14-6-1960, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ०1124 द्वारा अंतःस्थापित ।